अमृत वाणी

सबसे उत्तम विजय प्रेम की है। जो सदैव के लिए विजेताओं का हृदय बाँध लेती है।

-सम्राट अशोक,

राजकाज

प्रधानमंत्री की बुद्धिमानी पर शक

कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार से दूर रखे जाने के बाद भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सभी को चौंका दिया है। दरअसल इस बार उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए एक ट्वीट किया जिसे मोदी को टैग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने से कोई बुद्धिमान नहीं बन जाता। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की भाषा पर भी सवाल उठाए। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी की बुद्धिमानी पर यदि यही शक विरोधियों ने किया होता तो शायद मोदी समर्थक देशभर में आग लगाने का काम कर रहे होते, लेकिन क्या किया जाए वो तो यही कह रहे हैं कि घर में आग लग रही है घर के चिराग से।

शिवसेना का भाजपा से मोह भंग

मुंबई से खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वाले बयान का समर्थन करने के एक ही दिन बाद ही शिवसेना ने महाराष्ट्र के सांगली में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे यह संदेश गया है कि अब शिवसेना का भाजपा से पूरी तरह भरोसा उठ चुका है और इसलिए उसने कांग्रेस का दामन थामने का मन बना लिया है। यह जहां भाजपा के लिए बुरी खबर हो सकती है वहीं कांग्रेस को नए साथी मिलने के रास्ते भी खुलते नजर आ रहे हैं। इस पर राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि यदि राहुल वाकई प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं तो इस तरह के और भी फेरबदल देखने को मिल सकते हैं।

यूपी में न्याय दिलाना हुआ दुश्वार

उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह और मुख्य सचिव राजीव कुमार जब इलाहाबाद में थे तभी अपराधियों ने एक वकील को गोलियों से भून दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हद यह है कि उनका काफिला घटना स्थल से कुछ देर पहले ही गुजरा था, इससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने जो अपराधियों के खिलाफएनकाउंटर चला रखे हैं कहीं वो राजनीतिक तो नहीं है, क्योंकि सही में जो अपराधी हैं वो तो लगातार बलात्कार और हत्या समेत डकैती जैसे कृत्य कर ही रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि पूर्व अखिलेश सरकार को घेरने के लिए जंगलराज की बात जो करते थे क्या उन्हें ये अपराध होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि खामोश हैं। कानून के रखवाले भी अब इन अपराधियों की जद से दूर नहीं हैं, इसलिए योगी सरकार पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के पास राज्य के लिए समय ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो अन्य राज्यों के चुनाव प्रचार में लगातार व्यस्त रहते हैं।

राहुल से भयभीत

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि वर्तमान में जो विपक्षी एकता नजर आ रही है वह देश के लिए नहीं बल्कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। इस विपक्षी एकता को देश के किसानों, गरीबों, उन्नति से कोई लेना.देना नहीं है। इस पर विपक्ष भी कहने से नहीं चूका और कह दिया कि जब से राहुल गांधी ने पूर्ण बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की बात कही है तभी से सत्ता पक्ष और उसके सहयोगियों में भय व्याप्त हो गया है। अब सभी लामबंद हैं कि इस विपक्षी एकता तो कैसे बदनाम किया जाए और तोड़ा जाए ताकि राहुल पीएम न बन सकें।

दराज के जरिए पाक में सेंध

चीन की दिग्गज ई.कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई.कॉमर्स कंपनी दराज ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है। इस अधिग्रहण के साथ जैक मा के नेतृत्व वाली समूह ने चार अन्य दक्षिण ,शियाई बाजार बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में विस्तार कर लिया है। दरअसल यहां पर भी पहले से दराज स्थापित है। इस प्रकार जानकार कह रहे हैं कि चीन ने दराज के जरिए पाकिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत करने का काम किया है, जिसके दूरगामी परिणाम पाकिस्तान और उसकी आर्थिक नीति पर पड़ेंगे। वैसे भी चीन विस्तारवादी है और वह नहीं चाहेगा कि उसकी जगह कोई और बाजार में कब्जा करे।

धार्मिक स्थलों की बदनामी

अभी कठुआ में हुए मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप और हत्या के निशान मिटने भी नहीं पाए थे कि हरियाणा से खबर आ गई कि यमुनागर स्थित एक मंदिर की धर्मशाला में पहले एक 13 वर्षीय बच्ची से गैंगरेप हुआ उसके बाद उसे मारने की कोशिश की गई। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। बच्चियों के साथ बढ़ते गैंगरेप और हत्या को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने फांसी का प्रावधान किया है। इस तरह धार्मिक स्थलों पर हो रहे घृणित कार्यों से इनकी बदनामी ज्यादा हो रही है, जिसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। चूंकि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होना है अतरू समझा जा रहा है कि पीड़िता को न्याय मिल सकेगा। बहरहाल समाजसुधारकों का कहना है कि इस दिशा में सख्त कानून के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आगे आकर काम करना होगा, ताकि इस तरह के मानसिक बीमारों को उनकी सही जगह पहुंचाया जा सके।

कश्मीर में पत्थरबाजी आतंक से निपटना सुरक्षा बलों के लिए गंभीर चुनौती रही है। यह एक आम स्थिति हो गई है कि सुरक्षा बल जहां भी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं पत्थरबाज वहां पहंचकर पत्थरबाजी शुरु करते हैं। उसमें सुरक्षा बल भी घायल होते हैं, शहीद होते हैं और पत्थरबाज भी सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का निशाना बनते हैं। पत्थर आतंक से हुई दर्दनाक घटनाओं की एक लंबी सूची है। किंतु इस समय पत्थरबाजों का शिकार हुए चेन्नई के 22 वर्षीय पर्यटक आर थिरुमनी की दर्दनाक मौत ने इसे एक नया मोड़ दे दिया है। आप देख लीजिए मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती एवं फारुख अब्दुल्ला दोनों ने तो एक स्वर से इसकी निंदा की ही है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी इसकी आलोचना की है। मेहबूबा मुफ्ती ने कहा कि इससे मेरा सिर शर्म से झुक गया है। यह अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा कि हमने एक पर्यटक की जान उसके वाहन पर पथराव करके ली है। यह एक कठोर सच्चाई है कि हमने एक मेहमान की जान ली है और वह भी इन पत्थरबाजों के तरीकों को सही ठहराते हुए। हमें इस पर सोचना चाहिए।

पर्यटक की मौत पर आंसू बहाना पर्याप्त नहीं

कृपया इस तथ्य पर गौर करें कि हमने एक पर्यटक, एक अतिथि पर पत्थर मारे जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसा तब है जब हम इन पत्थरबाजों और उनके तरीकों का महिमामंडन करते हैं। इस युवा पर्यटक की मेरे चुनावी क्षेत्र में मौत हो गई। जबकि मैं इन गुंडों, उनके तरीकों और उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता।

वास्तव में यह ऐसी घटना है जिसका खुलकर समर्थन करना किसी के लिए संभव नहीं। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से इस घटना की निंदा की है तथा पीडीपी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उमर अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि आखिर राज्य सरकार हत्यारों को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है। हमेशा अलगावादी भाषा बोलने वाले निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने भी सरकार पर पर्यटक को बचाने में नाकाम रहने का आरोप लगा दिया है। नैशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख भीम सिंह सरकार को पूरी तरह से विफल बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस दिन जनता सरकार को बदल देगी, सूबे में पत्थर बरसने बंद हो जाएंगे। यहां तक कि शोपियां में हुई मौत के खिलाफबंद और प्रदर्शन का आह्वान करने वाले अलगावावादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने इस घटना को गुंडागर्दी करार दे दिया। अन्य नेताओं के भी ऐसे ही बयान हैं।

इससे ऐसा लग सकता है कि कश्मीर में सारी पार्टियां और नेता पत्थरबाजों के खिलाफएकजुट हो रहे हैं। इंजिनियिर राशिद का बयान है कि यदि घाटी में पत्थरबाजी का लोग निशाना बनेंगे तो फिर कोई यहां क्यों आएगा। किंतु इससे किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। पर्यटन कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वहां की बहुसंख्य जनता के लिए यह जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। यदि पर्यटक वहां इस तरह हमले का शिकार होंगे तो फिर कश्मीर में कौन पांव रखना चाहेगा। चूंकि पर्यटक के मारे जाने तथा कुछ के घायल होने के कारण वहां का वातावरण अभी प्रतिकूल है इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। उदाहरण के लिए उमर अब्दुल्ला का ही बयान ले लीजिए। वे कह रहे हैं कि हम अपनी मेहमाननवाजी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं और हमने अपने मेहमानों के साथ जैसा सलूक किया और चेन्नै से एक मेहमान इसमें मारे गए, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। एक आंकड़ा हमारे सामने आया है। 8 जुलाई 2016 को आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जबसे पत्थरबाजी तेज हुई है कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। 2016 के पहले चार महीने में 3,91,902 पर्यटक आए थे। अगले साल इन्हीं महीने में इनकी संख्या 1,69,727 तथा इस वर्ष इसी अवधि में 1,54,062 पर्यटक आए हैं। यह सरकार के साथ सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। कारण, पर्यटन नही तो फिर कश्मीरी जिएंगे कैसे सवाल है कि अगर पर्यटक नहीं मारे गए होते तो क्या इनका स्वर ऐसा ही निकलता यही मूल प्रश्न है जिसका उत्तर हमे तलाशना है।

शोपियां में 6 मई को एक बड़े आतंकरोधी अभियान में पांच आतंकवादी मारे गए। इस अभियान से बुरहान वानी गैंग का सफाया हो गया। यह सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी सफलता थी। किंतु इन आतंकवादियों को बचाने आए पत्थरबाजों में से भी पांच की मौत हो गई। इसके बाद हुर्रियत एवं अन्य समर्थकों ने बंद तथा प्रदर्शन की घोषणा कर दी। इस कारण पथराव का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी हुआ। पत्थरबाज जहां वाहन देखते उसी पर हमला करने लगते। 7 मई शाम को गुलमर्ग से पर्यटकों का एक दल श्रीनगर लौट रहा था। रास्ते में श्रीनगर.बारामुला हाईवे पर स्थित नारबल के पास भड़काऊ नारेबाजी कर रहे तत्वों ने उनके वाहनों पर पथराव शुरू कर दिया। इन वाहनों में सवार पर्यटकों को चोटें आई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायल पर्यटकों को तुरंत शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान अस्पताल सौरा पहुंचाया, जहां चेन्नई के पर्यटक की मौत हो गई। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थीं। उनके साथ घायल होने वाली हंदवाड़ा की सबरीना की हालत भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि दिवंगत पर्यटक का शव जहां पोस्टमार्टम के लिए पुलिस अस्पताल ले जाया गया था वहां मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और स्वास्थ्य राज्यमंत्री आसिया नक्काश भी पहुंचीं। मुख्यमंत्री ने पीडित पर्यटक परिवार के साथ अपनी संवेदना जताई। यह एक सही कदम था। किंतु कल्पना करिए यदि पत्थरबाजों द्वारा कोई सुरक्षा बल शहीद किया गया होता तो भी मेहबूबा इसी तरह संवेदना व्यक्त करने पहुंचतीं और नेताओं के बयान इसी तरह आतेष्

अभी तक के इनके रवैये को देखते हुए तो इसका उत्तर है, नहीं। इंजिनियर राशिद को ही देखिए। एक तरफ तो वे पर्यटक के मारे जाने पर अफसोस प्रकट करते हैं दूसरी ओर कहते हैं कि शोपियां में सिर्फ 1 दिन में 11 कश्मीरियों ने अपनी जवान गई। आतंकवादी और उनके समर्थकों के प्रति ऐसी हमदर्दी इन नेताओं में लगातार देखी जा रही है। यह इन्हीं का रवैया है जिससे पत्थरबाजी अब वहां आतंकवादियों के लिए रक्षा कवच तथा सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसी दुखद घटनाओं की लंबी सूची यहां प्रस्तुत की जा सकती है जिसमें आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंचे सुरक्षा बलों सामने पत्थरबाज आ धमके और उनकी आड़ में हमारे जवान शहीद हुए और घायल हुए। अगर उसमें कुछ पत्थरबाज मारे गए तो नेताओं का बयान उनके पक्ष में ही जाता था। उमर अब्दुल्ला ने ही कई बार बयान दिया कि सुरक्षा बलों ने संयम से काम लिया होता तो नागरिक नहीं मारे जाते। उसके साथ अलगावावादी ताकतें बंद आयोजित कर देतीं हैं जिसमें प्रदर्शन होता है, पत्थर चलते हैं और उनकी चपेट में कोई भी आ सकता है। वैसे इन्हीं पत्थरबाजों ने कुछ समय पहले बच्चों की स्कूल बस पर हमला कर दिया था। क्योंघ् आखिर इन बच्चों ने इनका क्या बिगाड़ा थाघ् पर्यटकों पर भी इनके हमले बढ़े हैं। पिछले महीने ही श्रीनगर और उससे सटे इलाकों में इनके हमले में कई पर्यटक जख्मी हो गए थे। उनमें दो महिला पर्यटकों को गंभीर चोटें आई थीं। पहलगाम के पास केरल के पर्यटकों पर पथराव हुआ और उसमें सात पर्यटक जख्मी हुए थे। यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह केवल संयोग है कि इन पूर्व के हमले में कोई पर्यटक मारा नहीं गया। वस्तुतः इस तरह के हमले हो रहे हैं और इनको इन्हीं नेताओं की शह मिलती है जो इस समय छाती पीटकर स्यापा कर रहे हैं।

इस दोहरे चरित्र से हिंसा का समाधान नहीं हो सकता। अलगावावादी तो पत्थरबाजों का बाजाब्ता उपयोग करते हैं। कभी लाउडस्पीकरों से घोषणा होती है कि अमुक जगह हमारे मुजाहिद्दीन फंस गए हैं उनके पक्ष में आएं तो कभी सोशल मीडिया पर अपील वायरल की जाती है। मेहबूबा की नीति थी कि अगर इन नवजवानों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा तो ये सुधर जाएंगे। केन्द्र सरकार की ओर से नियुक्त वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा ने भी कश्मीर से लौटकर सरकार को कुछ रिपोर्टें दीं। उसके बाद काफी संख्या में पत्थरबाजों पर से मुकदमा वापस लेकर उनको जेल से रिहा किया गया। किंतु इसका अपेक्षित असर नहीं हुआ है। खैर, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बलों ने अब पत्थरबाजों के आगे घुटने टेकने या वापस आने की नीति का परित्याग कर दिया है। वे हर हालत में ऑपरेशन पूरा करके ही वहां से हटते हैं। किंतु इसकी प्रतिक्रिया में यदि पत्थरबाज आम हिंसा पर उतारु हो गए, पर्यटक हमलों का शिकार होने लगे, स्कूली बच्चे होने लगे तो फिर इनसे निपटने के अन्य रास्ते भी तलाशने होंगे बिना इस बात की चिंता किए कि सरकार इससे लोकप्रिय हो रही है या अलोकप्रिय।

अवधेश कुमार
(ये लेखक के अपने विचार है)

अस्तित्व की लड़ाईः चुनाव आयोग व सरकार के बीच अघोषित युद्ध

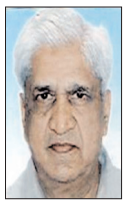

क्या नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पदग्रहण के बाद चुनाव आयोग व केन्द्र सरकार के बीच अघोषित युद्ध शुरू हो गया है क्या केन्द्र की मंशाओं को भांपकर ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्वायत्रता की गुहार लगाई है और केन्द्र सरकार ने अपनी दलीलों के आधार पर चुनाव आयोग की मांग को खारीज कर दिया, जबकि सरकार यह स्वीकार भी कर रही है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संगठन है। यद्यपि इस मसले का स्वतंत्रता के आधार स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका से कोई सीधा संबंध नहीं है, किंतु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि चुनाव आयोग को अपने नियम.कानून बनाने का अधिकार इसलिए नहीं है, क्योंकि यह दायित्व तो सिर्फ और सिर्फ विधायिका व कार्यपालिका का है।

वास्तविकता यह है कि जबसे मध्यप्रदेश के वरिष्ठतम पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी श्री ओमप्रकाश रावत ने मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार सम्हाला है, तभी से उन्होंने विश्व के अनेक देशों से चुनाव कानून मंगवाकर उनका विस्तृत अध्ययन कर भारत में आदर्श और सर्वशक्तिमान चुनाव आयोग के गठन का फैसला लिया है, वे कुछ ऐसे चुनाव कानून बनाना चाहते है, जिससे देश में लोकतंत्र की नींव मजबूत हो सके और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई ऊँगली न उठे, इसीलिए सर्वप्रथम चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय से चुनाव आयोग को स्वायत्रता प्रदान करवाने की गुहार लगाई। चुनाव आयोग चुनाव संचालन व चुनावों को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बनाना चाहता है, जिससे कि कोई भी चुनाव आयोग को आरोपों के कटघरें में खड़ा न कर सके, और यह सब मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को कतई पसंद नहीं, वे चुनाव आयोग को आयोग से सम्बंधित भी नियम कानून बनाने की स्वतंत्रता मुहैय्या कराने के पक्ष में नहीं है, वे तो चाहते है कि सभी संवैधानिक संगठन भी केन्द्र के मंत्रालयों की तरह ही उनके अधीन रहे, जबकि भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रजातंत्र के तीनों स्तंभों को स्वतंत्र रूप से अपने दायित्व सम्पादित करने दिए जाए, जो कि मौजूदा केन्द्र सरकार को पसंद नहीं है।

इस पूरे मुद्दे की यदि अर्न्तकथा पता की जाए तो पता चलता है कि चुनाव आयोग जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन और उनके दायित्व निर्वहन के साथ चुनाव सम्पादन सम्बंधि कुछ ऐसे सख्त कानून बनाकर लागू करना चाहता है, जिससे भारत में सभी चुनाव पारदर्शी हो जाए, चुनाव आयोग इसके लिए जहां नेताओं की भाषण शैली, आरोप.प्रत्यारोप, आदि को कानून के दायरें में लाना चाहता है, वहीं नेताओं के दो.दो सीटों से चुनाव लड़ने जैसी प्रवृत्ति पर भी रोक लगाना चाहता है, यह तो महज एक उदाहरण है, ऐसे कई नए नियम.कायदे बनाना चाहता है, जो नेताओं की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा सकते है, इसलिए केन्द्र में सत्ता पर काबिज लोग नहीं चाहते कि चुनाव आयोग के हाथों में उसकी स्वायत्रता का ब्रम्हास्त्र थमाया जाए।

केन्द्र सरकार को चुनाव आयोग से यह अघोषित युद्ध अब इसलिए लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त अपने नियम कायदों व आयोग की प्रतिष्ठा के अनुरूप चुनाव कार्य सम्पादित करना चाहते है, जबकि इसके पहले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के समय केन्द्र सरकार अपनी मनमर्जी के कई कार्य करवा लेती थी, जैसे दिल्ली विधानसभा के बीस विधायकों को रातों.रात निष्कासन।

शायद इसी माहौल के चलते केन्द्र सरकार आधा दर्जन राज्य विधानसभाओं के साथ लोकसभा के भी चुनाव करवाने का अहम् फैसला नहीं ले पा रही है, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है वहां संविधान व नियम.कायदों की सीमा को अहमियत दी जाती है, इसी कारण केन्द्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट से भी पटरी नहीं बैठ पा रही है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट कानून.कायदों को अहमियत दिला पाते है या नहीं।

ओमप्रकाश मेहता
(ये लेखक के अपने विचार है)

विधायिका के कार्य में न्यायपालिका का हस्तक्षेप असंवैधानिक

शक्ति और कार्यविभाजन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। इस संविधान में शासन के तीनों प्रमुख अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, के कार्यों का स्पष्ट विभाजन है, फिर भी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के संविधान विरोधी निर्णयों पर रोक लगा सकती है। किंतु एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न तब उठता है जब न्यायपालिका विधायिका के आंतरिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करती है। कई बार उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप करके कुछ कार्य विशेष करने अथवा न करने का आदेश देते है। एक ज्वलंत संवैधानिक प्रश्न उठता है कि क्या विधायिका के आंतरिक कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार भारतीय संविधान में न्यायपालिका को प्रदान किया है। शक्तियों के पृथकरण का सिद्वांत फ्रेंच दार्शनिक मोन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। उसके अनुसार राज्य की शक्ति उसके तीन भागों कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में बांट देना चाहिए। यह सिद्वांत राज्य को सर्वाधिकारी होने से बचा सकता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सर्वप्रथम इस सिद्वांत को अमेरिका के संविधान में अपनाया गया। भारतीय संविधान में भी तीनों अंगों के कार्यों और अधिकारों का स्पष्ट वर्णन है। शक्ति का प्रथक्करण एक मौलिक कार्य है। इससे तीनों इकाईयां स्वत: ही प्रथक हो जाती है। भारतीय संविधान में शक्ति प्रथक्करण हेतु तीनों अंगों का प्रथक वर्णन है।

कुछ वर्षों से न्यायपालिका बहुत सक्रिय हो गई है। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय विधायिका के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे हैं। हमारे देश में जनतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवस्था संविधान में की गई है। लोकसभा एवं विधान सभाओं के चुनाव प्रति 5 वर्ष बाद होते हैं। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसे सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है। कई बार चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एक से अधिक दल अपना बहुमत होने का दावा करते हैं, तब प्रतिस्पर्धी दल राज्यपाल के पास अपने समर्थकों की सूची लेकर जाते हैं। राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कर किसी एक दल को सरकार बनाने का अवसर देकर किसी निश्चित तारीख को उस दल को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश देते हैं। कई बार दूसरा दल, जिसे सरकार बनाने का अवसर नहीं मिलता है, राज्यपाल के निर्णय से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में अपील करता है। कई बार न्यायालय विधानसभा को निर्देश देते हैं। ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठता है.क्या उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान में किसी विधानसभा की आंतरिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में किसी भी न्यायालय को विधायिका को निर्देशित करने का अधिकार प्रदान नहीं किया है। कोई भी न्यायालय विधायिका की आंतरिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा, विधानपरिषद अथवा दोनों के अधिवेशन बुलाने अथवा समाप्त करने का अधिकार है। यद्यपि अनुच्छेद 226 उच्चतम और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का असीमित अधिकार प्रदान करता है तथापि किसी भी विश्लेषण के अनुसार कोई भी विधायिका इस कार्यक्षेत्र में नहीं आती है। फिर भी कई प्रकरणों में न्यायालयों ने हस्तक्षेप कर विधायिका को निर्देशित किया है। उदाहरणार्थ, उत्तराखण्ड में हरिश रावत की सरकार उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही पुन: सत्तासीन हुई थी। किसी सदस्य की सदस्यता संबंधी निर्णय सदन स्वयं बहुमत से कर सकता है। इस सम्बंध में अध्यक्ष को ही असीमित अधिकार प्राप्त हैं। किन्तु उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा किसी विधायिका के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करना अथवा उसे निर्देशित करना सर्वथा असंवैधानिक है।

अनुच्छेद 212 के अनुसार श्न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना. राज्य के विधान.मंडल के किसी कार्यवाही विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न गत नहीं किया जाएगा। स्पष्ट है कि किसी भी विधायिका की कार्यवाही में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। विधायिका संविधान के तीनों अंगों में सर्वोपरि है क्योंकि कानून बनाने का अधिकार विधायिका को ही प्राप्त है। इतना अवश्य है कि कोई भी विधायिका संविधान विरोधी कोई भी प्रस्ताव पास नहीं कर सकता। ऐसे प्रस्ताव को न्यायालय अवश्य ही असंवैधानिक मानकर निरस्त कर सकता है क्योंकि भारत में संविधान सर्वोपरि है। भारतीय संविधान संयुक्तराज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। उसकी मूल भावना ब्रिटिश संविधान से अधिक प्रभावित है। वहां विधायिका सर्वोपरि है। न्यायपालिका वहाँ की संसद के आंतरिक प्रक्रिया और निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करती। एक बार की घटना इसका बहुत अच्छा उदाहरण है।

प्रो. डीके शर्मा
(ये लेखक के अपने विचार है)